

## ई-नीलामी विवरण सूचना (सरफेयरी एक्ट 2002 के अन्तर्गत)

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिपूतिकरण, वित्तीय आरित का पुनर्निर्माण एवं प्रतिपूति व्याज का प्रवर्तन अधिनियम-2002 (SARFAESI ACT-2002) की धारा 13 (2) नियम 5, 6, 7, 8 और 9 के साथ पड़ति नियम 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक के पास साम्यक बैंक रखी गई निम्नलिखित संपत्तियों के संबंध में माना-न-नोटिस जारी करने के उपरांत उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंकाया संपत्तियों को कब्जे में ले लिया है। अब प्राधिकृत अधिकारी नियम संपत्तियों को “जो है जहा है” एवं “जो है जैसी है” तथा “जो कुछ भी वहां है” के आधार पर यथा स्थिति ई-नीलामी द्वारा बिक्री करने हेतु निविदा आमत्रित करते हैं।

क्र. सं.	ऋणी का नाम एवं शाखा	सम्पत्ति स्थानी का नाम	बकाया राशि एवं मांग पत्र/ कब्जा दिनांक	कब्जा की गई सम्पत्ति के मालिक का नाम एवं सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य रु.	अधिग्रहण जमा राशि/ खाता सं.	ई-नीलामी की तारीख और समय
1.	1. ओम ट्रेडर्स् प्र० ०० रंजित सिंह पुरुष रामसवक राठौर 2. श्रीमती युड्डी देवी पत्नी राम सेवक राठौर इलामा कायांलय : फिरोजाबाद	मालिक: श्री मत्ती गुड्डी देवी पत्नी राम सेवक राठौर	रु. 20,97 लाख + व्याज एवं अन्य खर्च मांग पत्र दिनांक 06.02.2017 कब्जा दिनांक 09.05.2017	सामर्थिक सम्पत्ति क्षेत्रल 940 वर्गफिट बड़ी नं. 1, जिल्द नं. 10385, ऐज नं. 63 से 78, क्र. सं. 13963 सशांक छोड़ नं. 1514 दिनांक 18.02.2015, 01.12.2014 को पंचांग त, किंतु वं. सं. 1 जिल्द सं. 10505, पेंज सं. 1-10 जगजीवन राम नगर, फिरोजाबाद में स्थित चौहदी: प्- मकान/प्लाट तारा चंद उर्फ पप्पू राठौर, प्- श्री सूरजमान का मकान, उ- 16 फिट चौड़ी सड़क, द- मूँ वेणों देवी आवास समिति का प्लाट/ सम्पत्ति	रु. 20.89 लाख	2.09 लाख खाता सं. 10280210000519 IFSC Code: UCBA0001028	14.12.2017 प्रातः 11:00 से सायं 04:00 तक

### नियम व शर्तें

- नीलामी की प्रक्रिया “आनलाइन ई नीलामी” के तहत की जायेगी जो हमारी वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> पर दिनांक 14.12.2017 को 11 बजे से सायं 4 बजे के मध्य हर 5 मिनट के विस्तार पर उपलब्ध रहेगी। 2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक निविदाकर्ता का वेध रूप से ईमेल पता होना अनिवार्य है। 3. नीलामी में भाग लेने वाले निविदाकर्ता को सलाह ही जाती है कि वे हमारी वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> पर जाकर नीलामी की विस्तृत नियम व शर्तों की जारी करें। 4. नीलामी में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं को सलाह ही जाती है कि वे हमारी वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> पर जाकर नीलामी की प्रक्रिया में भाग लें। 5. नीलामी में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं को सलाह ही जाती है कि वे हमारी वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> पर जाकर नीलामी की विस्तृत नियम व शर्तों की जारी कराएं। 6. निविदा फार्म के साथ पहचान की एक कापी भी संलग्न करें। इसके लिए ऐसे कार्ड, पासपोर्ट, वॉटर आईडी, वेध ड्राइविंग लाइसेंस या फोटो लगा हुआ पहचान पत्र जो कोन्वे / उ०३० सरकार द्वारा जारी हुआ हो, निविदा फार्म के साथ जमा किया जा सकता है। निविदा में भाग लेने वाले ऐसे सभी लोग जो विदेशों में रह रहे हैं/या पीओआईओ जिनके पास दोहरी नागरिकता हों/ या विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक (एनआरआई) को चाहिए कि वे अपने/अपनी वैध भारतीय पासपोर्ट की कोटों कापी निविदा फार्म के साथ जमा कर सकते हैं लेकिन न्यूल दरतावेजों को मांगने पर उन्हें दिखाना होगा। 6. 10 प्रतिशत आरक्षित मूल्य आरटीजीएस/एनएफएटी द्वारा बैंक एकाउंट नं. जो प्रत्येक सम्पत्ति का अलग अलग विज्ञापन में दिया है, में जमा करें तथा जमा धनराशि को जिस सम्पत्ति के लिए दिया गया है, स्पष्ट रूप से उत्तिलिखित करें। अधिग्रहण धनराशि (ईएम्सी) असाफल निविदाकर्ताओं को विना कोई देव व्याज के वापस कर दिया जायेगा। नीलामी को निरस्त होने की विधित में भी बैंक द्वारा ईमेल राशि बिना व्याज के निविदाकर्ताओं को लौटा दी जायेगी। इस संबंध में निविदाकर्ताओं को यहां है कि वे नीलामी की प्रक्रिया बहुत होने के बाद बैंक से सम्पर्क कर सकते हैं। 7. निविदा फार्म की एक कापी जो सभी आवश्यक संलग्नक के साथ हो जाए तो जिसमें नियम व नियर का विवरण भी हो। 8. नियम व नियर के लिए ईमेल द्वारा [zo.kanpur@ucobank.co.in](mailto:zo.kanpur@ucobank.co.in) को 11.12.2017 तक प्रेषित करें। बैंक निविदा फार्म के दरी से पंचवें या अलग एकाउंट के न होने पर पोस्टल/कॉरियर एजेंसी/कैरियर द्वारा देवी करने से पर बैंक जिम्बेदार न होगा। 9. निविदा फार्म को जमा करने की अतिम तिथि 11 दिसंबर 2017 को सायं 4 बजे तक है। 9. अधूरी निविदा फार्म विना दरस्त्यात किये हुए निविदा फार्म या क्र. संख्या 5, 6, 7 और 8 में वर्णित आवश्यकतानुसार का न होने की विधित में निविदा अस्तीकार कर दी जायेगी। ऐसे निविदा प्रत्र जो आरक्षित मूल्य से ऊपर नहीं है उहां भी अस्तीकार किया जा सकता है। अधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा के वह बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकार करे या या नीलामी को स्थगित / निरस्त कर दे। 10. नीलामी/निविदा की प्रक्रिया केवल “आनलाइन ई नीलामी” के द्वारा ही होगी। आनलाइन नीलामी सबसे ऊंची बोली जो निविदा फार्म में दी गई होती से प्रायः अधिकरण कर कम से कम बढ़ातीरी जो रुपया 10,00/- के गुणांक में सम्पत्ति के सभी भागों पर लागू होगी। 11. केवल एक निविदाकर्ता होने की विधित में उसके द्वारा निविदा फार्म में दर्शायी गई धनराशि को “एक निविदादाता वृद्धि कीमत के आधार पर बढ़ातीरी करनी होती अन्यथा नीलामी को निरस्त हो स्थगित कर दिया जायेगा। 12. यदि बाजार वृद्धि नीलामी (जो सबसे ऊंची बोली लगने से भी ऊंची होने की विधित में) प्राप्त की जाती है तो बोली के 5 मिनट के अन्दर प्राप्त की जाती है नीलामी की प्रक्रिया अलग 5 मिनट के लिए तब तक जारी रहेंगी तो अन्य बोली को एक अचल अंचल वृद्धि की पुष्टि की पुष्टि न हो जाए सम्पत्ति पर अधिकार न होगा। 14. सफल निविदादाता को खरीद कीमत (जिसमें ईएम्सी टिजिसका हपले ही भुगतान कर चुके हैं भी शामिल) का 25 प्रतिशत नीलाम खत्त होने के तुरन्त बाद जैसा कि उपरोक्त क्रम संख्या 7 में वर्णित है कि अनुसार जारी करना होगा। शेष 75 प्रतिशत बकाया राशि 15 दिनों के अन्दर स्वीकार/पुष्टि होने की विधित में जमा करना होगा। 15. सफल निविदादाता को बकाया धनराशि 15 दिन के अन्दर तब जेनां हो जाए तब उसके पक्ष में निविदा की पुष्टि हो जाये। 16. यदि सफल बोली कर्ता दी गयी समय सीमा के अन्दर पैसा नहीं जमा करता है तो उक्त सम्पत्ति फिर से बोली कर्ता की जामा की गयी धनराशि जल्द कर ली जायेगी। ऐसी विधित में बोली कर्ता की जामा की गयी धनराशि और उस सम्पत्ति पर अधिकार न होगा। 17. निविदा फार्म की विधित में उसके दरी से पंचवें या अलग एकाउंट के न होने पर पोस्टल/कॉरियर एजेंसी/कैरियर द्वारा देवी करने के बाद जैसा कि उपरोक्त क्रम संख्या 7 में वर्णित है कि अनुसार जारी करना होगा। शेष 75 प्रतिशत बकाया राशि 15 दिनों के अन्दर स्वीकार/पुष्टि होने की विधित में जमा करना होगा। 18. यदि बैंकों द्वारा देवी की विधित में उसके दरी से पंचवें या अलग एकाउंट के न होने पर पोस्टल/कॉरियर एजेंसी/कैरियर द्वारा देवी करने के बाद जैसा कि उपरोक्त क्रम संख्या 7 में वर्णित है कि अनुसार जारी करना होगा। शेष 75 प्रतिशत बकाया राशि 15 दिनों के अन्दर स्वीकार/पुष्टि होने की विधित में जमा करना होगा। 19. निविदा फार्म की विधित में उसके दरी से पंचवें या अलग एकाउंट के न होने पर पोस्टल/कॉरियर एजेंसी/कैरियर द्वारा देवी करने के बाद जैसा कि उपरोक्त क्रम संख्या 7 में वर्णित है कि अनुसार जारी करना होगा। शेष 75 प्रतिशत बकाया राशि 15 दिनों के अन्दर स्वीकार/पुष्टि होने की विधित में जमा करना होगा। 20. यदि बैंकों द्वारा देवी की विधित में उसके दरी से पंचवें या अलग एकाउंट के न होने पर पोस्टल/कॉरियर एजेंसी/कैरियर द्वारा देवी करने के बाद जैसा कि उपरोक्त क्रम संख्या 7 में वर्णित है कि अनुसार जारी करना होगा। शेष 75 प्रतिशत बकाया राशि 15 दिनों के अन्दर स्वीकार/पुष्टि होने की विधित में जमा करना होगा। 21. यदि बैंकों द्वारा देवी की विधित में उसके दरी से पंचवें या अलग एकाउंट के न होने पर पोस्टल/कॉरियर एजेंसी/कैरियर द्वारा देवी करने के बाद जैसा कि उपरोक्त क्रम संख्या 7 में वर्णित है कि अनुसार जारी करना होगा। शेष 75 प्रतिशत बकाया राशि 15 दिनों के अन्दर स्वीकार/पुष्टि होने की विधित में जमा करना होगा। 22. यदि बैंकों द्वारा देवी की विधित में उसके दरी से पंचवें या अलग एकाउंट के न होने पर पोस्टल/कॉरियर एजेंसी/कैरियर द्वारा देवी करने के बाद जैसा कि उपरोक्त क्रम संख्या 7 में वर्णित है कि अनुसार जारी करना होगा। 23. यदि बैंकों द्वारा देवी की विधित में उसके दरी से पंचवें या अलग एकाउंट के न होने पर पोस्टल/कॉरियर एजेंसी/कैरियर द्वारा देवी करने के बाद जैसा कि उपरोक्त क्रम संख्या 7 में वर्णित है कि अनुसार जारी करना होगा। 24. यदि बैंकों द्वारा देवी की विधित में उसके दरी से पंचवें या अलग एकाउंट के न होने पर पोस्टल/कॉरियर एजेंसी/कैरियर द्वारा देवी करने के बाद जैसा कि उपरोक्त क्रम संख्या 7 में वर्णित है कि अनुसार जारी करना होगा। 25. किसी भी तरह की जानकारी विशेष कार के विशेषताओं को सभी रकमां पर अधिकारी अंचल कार्यालय का कानपुर पर या उनके मोबाइल नं 09460552446 से किसी भी कार्य दिवस में हासिल की जा सकती है।